

23.9.21

प्राथमिकी पेश हुई आधेवक्का बादी प्रथि अधेवक्का
खं प्राथिगण अनुप्राथित। नमामात्म समममं धर-बश
उप्राथिते हेतु साबासे लगवाई गई। फिर भी न-
आधेवक्का बादी (प्राथिगण) और ना-दी प्राथिगण
उप्राथित हुये। अतः प्राथिका रस्टोर प्राथेन मत्त
ओ. 9 सत्व 4 जा. दी. अन्तर्गत सादेश 09 निमम 03 से. पी. सी.
के तहत कार्रवाई किया जाना है।

170



दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>- आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रतापकली फौजले शुमार इन्जल दाखिल दफ्तर हो गई।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी सौरभ लेक</p>